



# भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झाँसी BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, JHANSI

(भारत सरकार का उपक्रम)

विज्ञापन संख्या 03/2022, दिनांक 15.10.2022

बीएचईएल झाँसी, आई.टी.आई. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से शिशिक्षु अधिनियम 1961 अनुसार सत्र 2022-23 हेतु निम्नवत, व्यवसाय शिक्षता प्रशिक्षण (Trade Apprenticeship) हेतु आवेदन आमंत्रित करता है:-

क्र.सं.	व्यवसाय	शिशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षण अवधि	अनिवार्य अहर्ताएं
1	फिटर	23	एक वर्ष	1. हाई स्कूल में प्राप्त अंक प्रतिशत : अ. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग - 60% या उससे अधिक ब. अनुसूचित जाति/ जन जाति - 55% या उससे अधिक
2	टर्नर	2	एक वर्ष	2. दिनांक 01.10.2022 को आयु 18 वर्ष से कम व 27 वर्ष से अधिक नहीं।
3	मशीनिष्ट	3	एक वर्ष	3. एन.सी.वी.टी. / एस.सी.वी.टी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित अभ्यर्थी के रूप में 2020 से 2022 के मध्य, आई.टी.आई. उत्तीर्ण। भेल झाँसी के कर्मचारियों (मृतक / सेवानिवृत्त / कार्यरत) के आश्रितों (पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी) को 03 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
4	इलेक्ट्रानिक(मेकेनिक)	2	एक वर्ष	4. आई.टी.आई. (ITI) में प्राप्त अंक प्रतिशत : अ. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग - 60% या उससे अधिक ब. अनुसूचित जाति/ जन जाति - 55% या उससे अधिक
5	इलैक्ट्रीशियन	18	एक वर्ष	5. इस आवेदन के पूर्व किसी संस्था में शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो अथवा प्रशिक्षण हेतु नाम पंजीयन नहीं हुआ हो अथवा अन्य किसी कारखाने में एक वर्ष या उससे अधिक का अनुभव ना हो।
6	वैल्डर (गैस एवं इलेक्ट्रिक)	8	एक वर्ष	6. राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के व्यवसाय शिक्षण विभाग द्वारा जारी आई.टी.आई. (ITI) अंक तालिका / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी अस्थायी अंक तालिका स्वीकार नहीं की जाएगी।
7	ड्राफ्ट्समैन(मेकेनिक)	3	एक वर्ष	7. आवेदक <a href="http://www.apprenticeshipindia.gov.in">www.apprenticeshipindia.gov.in</a> में पंजीकृत हो।
8	प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम्स एड्मिनिस्ट्रेसन असिस्टेंट (पासा)	2	एक वर्ष	
	<b>योग</b>	<b>61*</b>		

\*उपरोक्त संख्या सांकेतिक है एवं उपरोक्त में आवश्यकतानुसार परिवर्तन प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में है।

## लागू आरक्षण प्रतिशत एवं आयु में छूट:

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)	आर्थिक कमजोर वर्ग	शारीरिक विकलांग
आरक्षण	21 %	1%	27%	10%	4%
आयु में छूट	5 वर्ष	5 वर्ष	3 वर्ष	—	10 वर्ष

- ❖ शारीरिक विकलांग आवेदकों को, जिनकी न्यूनतम विकलांगता 40% हो, क्षैतिज आधार पर 4% आरक्षण दिया जाएगा। छूट प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- ❖ आर्थिक कमजोर वर्ग के आवेदकों हेतु, जिनकी न्यूनतम वार्षिक पारिवारिक आय रु 8 लाख से कम हो, 10% आरक्षण का प्रावधान है। छूट प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा कम से कम तहसीलदार के पद पर आसीन प्राधिकृत अधिकारी (राज्य / केंद्र शासित) द्वारा जारी **आर्थिक कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ❖ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का दिनांक **01.10.2021** से पूर्व जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र, या वैधता समाप्त हुआ जाति प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।
- ❖ आर्थिक कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा केवल अधिकृत अधिकारी (तहसीलदार या ऊपर के पद) द्वारा जारी नवीनतम प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
- ❖ बी.एच.ई.एल. झांसी के कर्मचारियों (मृतक / सेवानिवृत्त / कार्यरत) के आश्रितों (पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी) को उनकी श्रेणी में उच्चतम आय सीमा में **03 वर्ष** की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।
- ❖ बी.एच.ई.एल. झांसी के कर्मचारियों (मृतक / सेवानिवृत्त / कार्यरत) के आश्रितों (पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी) के लिए अधिकतम **20%** रिक्तियां आरक्षित है।
- ❖ चयन, पात्र उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार **वरीयता सूची ( Merit List)** के अनुसार किया जायेगा।
- ❖ चयन / मेरिट लिस्ट / प्रतीक्षा सूची संबंधी सूचना हमारी वेबसाइट <https://jhs.bhel.com> पर उपलब्ध करा दी जायेगी। अन्य किसी प्रकार के सूचना के माध्यम का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

### **सामान्य निर्देश :**

- ❖ विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर, जिसमें प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी चयन उपरांत संस्थान में उपस्थित नहीं हुए, प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु वरीयता दी जाएगी।
- ❖ चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा चयनोपरांत अहर्ताओं को पूर्ण नहीं किये जाने पर, निर्धारित दस्तावेज प्राप्त न होने पर, संबंधित दस्तावेज गलत पाये जाने पर अथवा किसी भी प्रकार की घोषणा गलत पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी/ प्रशिक्षण किसी भी समय बिना किसी कारण बताए निरस्त की जा सकती है।
- ❖ रिक्तियों की यह संख्या केवल अंतरिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित की जा सकती है। तदनुसार विभिन्न वर्गों /श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुनरीक्षित की जा सकती है।
- ❖ प्रशिक्षण आर.डी.एस.डी. ई. (RDSDE) कानपुर में पंजीयन होने पर आधारित है, यदि किसी कारण पंजीयन नहीं हो पाता है तो आपको प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया जाएगा।
- ❖ आर.डी.एस.डी. ई. कानपुर में पंजीयन हेतु आवेदक निम्नलिखित बेवसाईट पर पंजीयन कर सकता है। [www.apprenticeshipindia.gov.in](http://www.apprenticeshipindia.gov.in)
- ❖ बी.एच.ई.एल. झांसी के प्रबंधन के पास बिना कोई कारण दिए चयन प्रक्रिया के संशोधन/ पुनर्निर्धारण/ निरस्त/ निलंबन करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ❖ उपर्युक्त से सम्बंधित समस्त सूचनाएँ समय- समय पर हमारी बेवसाईट (<https://jhs.bhel.com>) पर दी जायेगी तथा अन्य किसी प्रकार के सूचना के माध्यम का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- ❖ बी.एच.ई.एल. झांसी के पास किसी भी आवेदन को, बिना किसी कारण सूचित किये, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- ❖ विज्ञापन अथवा भेजे गए आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही के निपटारे हेतु झांसी स्थित न्यायालय/अधिकरण/फोरम को ही इसका एकमात्र अधिकार होगा।
- ❖ आवेदक, चयन हेतु बी.एच.ई.एल द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

- ❖ चयनित अभ्यर्थियों को प्राशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व, शिशिक्षु अधिनियम, 1961 एवं संबंध नियम के तहत निर्धारित प्रारूप में, सक्षम चिकित्साधिकारी के द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण निर्धारित स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरने पर निर्भर करती है।
- ❖ प्रशिक्षण के उपरांत बी.एच.ई.एल. झांसी किसी भी अभ्यर्थी को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

## **चयन की चरणबद्ध प्रक्रिया:-**

### **अ. प्रथम चरण :-**

अप्रेंटिसशिप साइट में रजिस्ट्रेशन :-

1. आवेदक को [www.apprenticeshipindia.gov.in](http://www.apprenticeshipindia.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है ।
2. रजिस्ट्रेशन के उपरान्त, आवेदक को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त होगा जोकि अग्रिम आवेदन प्रक्रिया के लिये अनिवार्य है।

### **ब. द्वितीय चरण :-**

अप्रेंटिसशिप साइट में आवेदन :-

1. पुनः [www.apprenticeshipindia.gov.in](http://www.apprenticeshipindia.gov.in) पर login करें।
2. तदोपरान्त Establishment Search पर BHEL Jhansi ( रजि. न. E05200901846) को सर्च करें ।
3. BHEL Jhansi की लिंक पर click कर, सम्बंधित ट्रेड के लिये आवेदन करें ।

### **स. तृतीय चरण :-**

भेल की वेबसाइट में आवेदनपत्र भरना :-

तदोपरान्त, प्रथम चरण में प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर का उपयोग करते हुए आवेदक बीएचईएल झांसी की वेबसाइट <https://jhs.bhel.com> पर Trade Apprentice "ITI Apprentice" के अंतर्गत उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र (Apply Online) भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के पश्चात पावती पत्र की प्रिंट (Acknowledgement Slip), अग्रिम प्रक्रिया हेतु सहेज कर रखें।

नोट:- किसी भी अन्य प्रकार से आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।

### **द. चतुर्थ चरण :-**

लिखित परीक्षा का आयोजन :-

उपयुक्त अभ्यर्थी जो कि विज्ञापन की सभी अहर्ताओं को पूर्ण करते हों, को योग्यता परीक्षा (ITI) में प्राप्त अंकों के आधार पर (सभी प्रकार की रिक्तियों एवं श्रेणियों के 1:10 के अनुपात में) लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा । अभ्यर्थियों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार वरीयता सूचि के अनुसार किया जायेगा । लिखित परीक्षा में प्राप्त समान अंकों की स्थिति में, जिस अभ्यर्थी के ITI में अधिक अंक हैं , को वरीयता दी जाएगी । यदी उसमें भी समानता पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी । उसके उपरांत हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ।

**लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं लिखित परीक्षा के उपरांत अंतिम चयन सूची (Final Selection List) संबंधी सूचना हमारी वेबसाइट <https://jhs.bhel.com> पर उपलब्ध करा दी जायेगी।**

वरीयता सूचि जारी होने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्रों की जांच हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों की मूल प्रति एवं स्वयं सत्यापित दो छाया प्रतियों के साथ निर्धारित दिनांक को भेल झाँसी में उपस्थित होकर सभी प्रपत्रों की जांच पूर्ण होने पर ही भेल झाँसी द्वारा शिशिक्षता में लिया जायेगा :-

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के पश्चात पावती पत्र की प्रिंट (Acknowledgement Slip)
2. [www.apprenticeshipindia.gov.in](http://www.apprenticeshipindia.gov.in), द्वारा जारी किया हुआ पंजीयन क्रमांक |
3. हाई स्कूल अंक तालिका |
4. हाई स्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो) अथवा जन्म प्रमाण पत्र |
5. राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के व्यवसाय शिक्षण विभाग (NCVT) द्वारा जारी आई.टी.आई. (ITI) अंक तालिका |
6. आधार कार्ड |
7. अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/ जन जाति/ शारीरिक विकलांगता / ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) |
8. आवेदक यदि बी.एच.ई.एल झाँसी के वर्तमान/ मृतक कर्मचारियों के पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी हो तो उन्हें निम्न में से किसी एक दस्तावेज की प्रति संलग्न करना होगा:-
  - कर्मचारी माता/पिता/पति/पत्नी के मेडिकल टोकन की प्रति जिसमें उम्मीदवार का नाम व फोटो अंकित हो।
  - यदि कर्मचारी माता/पिता/पति/पत्नी मृतक है, तो कार्यालय भाग-2 आदेश की प्रति एवं साथ में कोई ऐसा दस्तावेज जिससे मृतक कर्मचारी एवं आवेदक का संबंध अंकित हो।
9. चयनित (शार्टलिस्टेड) अभ्यर्थियों के मूल प्रपत्रों की जांच में असफल होने पर उनकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी एवं उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से वरीयतानुसार अभ्यर्थियों को प्रपत्र जांच हेतु बुलाया जा सकता है |
10. फैक्स / ईमेल / या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
11. ऑन लाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि: **16.10.2022** (मध्य रात्रि 00:05)
12. ऑन लाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि: **31.10.2022** (मध्य रात्रि 23:55)
13. लिखित परीक्षा की तिथि: **12.11.2022 (दिन -शनिवार)**
14. **लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं लिखित परीक्षा के उपरान्त अंतिम चयन सूची (Final Selection List) संबंधी सूचना हमारी वेबसाइट <https://jhs.bhel.com> पर उपलब्ध करा दी जायेगी।**

\*\*\*\*\*